हर इन्सान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 05 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

17वें स्थापना दिवस का उद्घोष

बहुत कुछ बदला है,आगे सब कुछ बदल जाना है: समता आन्दोलन

जयपुर । लोकसभा चुनावों के इस वातावरण में प्राय: सभी गतिविधियाँ मनभर गति से चल रही हैं तब समता आंदोलन अपना स्थापना दिवस पखवाड़ा पुरे उत्साह और ऊर्जा के साथ मना रहा है। हर साल 11 मई से शुरू होने वाले इस समारोह की शुरुआत इस बार भी जयपुर के राष्ट्रीय मुख्यालय से हुई। शास्त्रीनगर स्थित खंडेलवाल भवन के शानदार सभागार में समता आंदोलन के संरक्षक 96 वर्षीय पानाचंद जैन ने की। समतागीत से शुरू हुए आयोजन में अपने स्वागत भाषण में पी एन शर्मा ने सभी आगन्तुकों और मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद जयपुर के समता संभागीय अध्यक्ष ऋषिराज राठौड़ ने कहा कि देश और सार्वजनिक जीवन में युवाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें समता आंदोलन से जोड़ने का आव्हान किया।

जयपुर नगर समता अध्यक्ष रामप्रकाश सारस्वत ने जातिवाद और आरक्षण को समानार्थक बताया और इसका कारण राजनेताओं को बताते हुए क्रीमीलेयर को तत्काल बाहर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सबको याद दिलाया कि देश को आजाद करवाने वाले बहुत कम थे लेकिन लाभ करोड़ों को मिला। उसी तरह समता आंदोलन की भूमिका है।

पीयूष माथुर ने पदोन्नति में आरक्षण की पीड़ा को उजागर करते हुए बताया कि उत्तरप्रदेश उत्तराखंड और पंजाब में ये बंद हो चूका है जिसके लिए समता आंदोलन के प्रयास स्तुत्य हैं। राजस्थान प्रदेश में भी इसका लाभ मिलने लगा हैं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश चंद्र खंडेलवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष खंडेलवाल वेश्य महासभा ने माना कि हमारी युवा पीढ़ी को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। मनमाने तरीके से आरक्षण देने का लाभ किसी को नहीं मिल रहा हैं। दूसरी तरफ जाति आधारित कार्यक्रमों में भी टूट पड़ती है जबकि राष्ट्र और देश हित की वैचारिक गोष्ठियों में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने आव्हान किया कि इस आंदोलन से पुरे कॉर्पोरेट जगत को भी जोडें।

समता आंदोलन के उपाध्यक्ष योगेंद्र राठौड़ ने कहा कि यदि समता आंदोलन नहीं होता तो प्रदेश में किसी भी ऊँचे पद पर सवर्ण दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ राठौड़ ने EWS को लेकर प्रदेश में नियमों के सरलीकरण पर शंका प्रकट की। अब हमे भी कुछ परिवर्तित होने की जरुरत है। SC/ST से क्रीमीलेयर को जरुरी बताते हुए EWS और OBC के मानदण्डों में भी समानता लाने की जरुरत बताई।

अधिनस्थ शिक्षा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोतीसिंह नाथावत ने इसे सुखद बताया कि 16 साल पहले की शुरुआत आज समता आंदोलन बहुव्यापक और स्वीकार्य हो चुका है।

स्वास्थ्य कारणों से पहले बोलते हुए संरक्षक जस्टिस पानाचंद जैन ने वर्तमान चुनाव से जोड़ते हुए मत प्रकट किया कि ये चुनाव गरीबी, बेरोजगारी और आरक्षण को केंद्र में रखकर हो रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा कि मनुष्य का जाया हर इंसान एक समान है। इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि वर्तमान में सबको बराबर करने के लिए और भी कठिन काम करने की जरुरत है।

राकेश वर्मा प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने सम्बोधन में माना कि आरक्षण का स्वरुप बदल चुका है। ये अब उसे मिल रहा है जो पहले से ही समर्थ है। SC/ST/OBC में क्रीमीलेयर का दबदबा है और वे ही इसका लाभ ले रहे हैं। जबकि समता आंदोलन ने तीन साल तक झालाना क्षेत्र के गरीब दलितों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम चलाया है। इसी अवसर पर चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ एस एस सेवदा ने आव्हान किया कि निराश नहीं होना है और जो शिथिलता आ गई है उसे दूर करना है।

समता आंदोलन के प्रदेश महासचिव रामनिरंजन गौड़ ने 19 अगस्त 2012 को संसद मार्ग पर दिए गए समता आंदोलन के विशाल धरने की याद दिलाते हुए कहा कि इसकी नीति और कार्यशैली ने नेताओं को शंका में ढाल दिया है कि समता आंदोलन के रहते उनकी जातिवादी नीतियां चलने वाली नहीं हैं। इसने सभी को बाध्य कर दिया है कि वे वही बोले जो हम चाहते हैं। हजारो लोगो को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है लेकिन वे इसके बाद उत्साहित होने के बजाय अक्रिय हो गए हैं।

आयोजन के प्रमुख वक्ता के रूप में समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह के समारोह को कांट्रीब्यूटरी स्नेह मिलन बताते हुए संकेत किया कि कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रयास किया जायेगा। आने वाले 5 सालों में न केवल हमारी गतिविधियाँ बढेंगी बल्कि परिणाम भी मिलेंगे। बहुत कुछ बदला और आगे तो सब कुछ ही बदल जाना है। शहरों के सभी वार्डों की कार्यकारिणी बनाने की आवश्यकता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि हम जनजागरण लाना चाहते हैं। नौकरी में आरक्षण पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केवल अपर्याप्त रेप्रीज़ेन्टेशन होने पर ही उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा अन्यथा कदापि नहीं। देश की तीन-तीन सविंधान पीठों का यही निर्देश है। राजस्थान में हमारे प्रयासों से आज प्रत्येक केडर का रोस्टर ऑनलाइन है। जबकि राजनैतिक आरक्षण बंद होने के लिए हमारी रिटें पेंडिंग थी उन पर पीठों का गठन हो चुका है और डे टू डे हियरिंग के आदेश है।

निजि क्षेत्र की बात करें तो पेट्रोल पम्प, मंडी में दूकान आवंटन, कियोस्क वितरण आदि में बाकायदा मनमाना आरक्षण दिया जा रहा है। यदि पक्षकार मिल जाए तो इधर भी काम किया जा सकता है। देश में जनवरी 2019 से ईडब्लूएस आरक्षण लागू है। सविंधान के अनुच्छेद 16 (4) में SC/ST को नहीं बल्कि बैकवर्ड क्लासों को आरक्षण है और बैकवर्ड की कोई परिभाषा आजतक नहीं है। फिर भी ईडब्लूएस के लिए जो पांच मानदण्ड निर्धारित किये गये है। हमारी मांग है कि OBC और आरक्षित वर्ग में ये पांचों मानदण्ड शामिल कर लिये जावें तो 80 प्रतिशत लोग आरक्षण की सीमा से बाहर हो जायेंगे। रही बात एट्रोसिटी एक्ट की तो आज की तारीख में मात्र 30 प्रतिशत केस ही सही हो रहे है । लेकिन यह भी उचित नहीं है। हम हर पीड़ित के साथ है। याद रखना होगा कि 95 प्रतिशत मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जिस अपराध में सात साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें सीधी गिरफ्तारी संभव नहीं है।

अंत में उन्होंने अपील भी कि हमें अच्छे समर्पित अधिकारियों की आवश्यकता है। अपने सामजिक दायित्व के तहत हमें समता वृक्ष, समता वन लगाने है और दस-दस हजार पीपल और बरगद के पेड़ लगाने हैं।

समारोह की व्यवस्था जयपुर जिला सचिव महेश शर्मा ने एवं संचालन जयपुर जिलाध्यक्ष दीपक सिंघल ने किया।

अध्यक्ष की कलम से

"मोदी का औरा"

साथियों,

इस बार के लोकसभा चुनावों में एक अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष अपने पर बहुत विश्वास प्रकट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बार-बार ये अनुभव हो रहा है कि "आएगा तो मोदी ही" । यहाँ तक कि भाजपा और आर एस एस के घुर विरोधी भी अपने सभी तथ्य रखने के बाद भी कहते है "आएगा तो मोदी ही" ।

ऐसा नहीं है कि भारत में मोदी एक मात्र त्यागी तपस्वी है। इन्ही की तरह या कहें गृहस्थ संत रहे हैं प्रधानमत्री लाल बहादूर शास्त्री। अटल बिहारी वाजपेयी भी कम तपस्वी नहीं थे। फिर मोदी का ऐसा "औरा" क्या कथित गोदी मीडिया का कमाल है? या फिर उनकी दो टुक और बेबाक कार्यशैली उनके अपरिहार्य बनाती है? काम तो सभी प्रधानमंत्री करते रहे हैं और 18 घंटे ही करते रहे हैं। फिर मोदी ही मोदी क्यों है।

प्रधानमंत्री का पद चौबीसों घंटे, हर मिनट सक्रिय रहता है। यहाँ तक कि उनके नींद में होते हुए भी हर आधे घंटे में अपडेट्स आते हैं। लेकिन मोदी को मोदी के रूप में प्रतिष्ठा दी है भारत के जन मन ने। किसी भी नेता को ऐसी जन स्वीकृति मिलना बहुत ही कठिन है। अवश्य ही कुछ ऐसा है जो विरोधियों की समझ में नही आता है।

ये जो जन मन की स्वीकृति है इसकी झलक कभी पंडित जवाहर लाल नेहरू में हुआ करती थी। उनके बाद मोदी में दिखाई देती है। नेहरू ने भारत को शून्य से यथार्थ के धरातल पर चलना सिखाया और मोदी भारत को विश्व शिखर के मार्ग पर लेकर चल पडे हैं। समय किसी का नहीं होता लेकिन उसका अवश्य होता है जिसका अपना सारा का सारा समय सबके लिए होता है।

जय समता

सम्पादकीय

अदलती स्टे पर एक और स्टे!!!

कुछ साल पहले की बात है। राजस्थान के डीजीपी अमिताभ गुप्ता समता आंदोलन के संरक्षक थे। रिटायरमेंट के बाद वे बीमार रहते थे। फिर भी आमंत्रित करने पर वे एक कार्यक्रम में आये। तब अपने उदबोधन में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी- ''हमारे समय में जब कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता था तो हम मान लेते थे कि अब इसे लागू होना है। '' लेकिन आज हालत ये है कि मौजूदा अफसर ये मानस रखकर काम करते है कि आखिर किन तरीकों का प्रयोग करके उसे लागू होने से रोका जा सकता है।

कहना कठिन है कि इन बदले हालातों के लिए नौकरशाही जिम्मेदार है या कथित राजनेता? वैसे सभी जानते हैं कि राजनेता नौकरशाही के अनुसार ही चलते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि नौकरशाह कथित राजनेताओं को नजरअंदाज करके न केवल सविंधान और कानून की पूरी तरह अनदेखी करते हुए प्रतीत होते हैं बल्कि अपना जात आधारित एजेंडा भी चलाते हैं।

उपरोक्त तथ्य कोई कल्पना नहीं है। एक नहीं दो बड़े उदाहरण इसके गवाह हैं। प्रदेश पुलिस विभाग में मेहरड़ा उपनाम के बहुत बड़े अधिकारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सवैंधानिक बेंच के निर्णय को ठीक किसी अनपढ़ की तरह पढ़कर मनमाने तरीके से उसको अनदेखा करके अपने ही स्तर पर जाति आरक्षण के संबंध में उल्टा सीधा आदेश भी जारी कर दिया। वे यहीं पर नहीं रुके और प्रदेश का डीजीपी बनने की जोड़ तोड़ में जुट गये । आखिर समता आंदोलन ने आगे बढकर उनके मनसूबों को पूरी तरह मनसूबों तक ही समेट दिया।

हाल ही डीजीपी कार्यालय ने फिर से उस कुत्सित मनोवृत्ति को दोहराते हुए हाईकोर्ट के ''स्टे'' आदेश को अनदेखा करके आदेश निकाल दिया कि आरक्षित वर्ग के लोग सीनियरटी के हिसाब से अनारक्षितों की सीटों पर भी पदोन्नत हो सकते है। इस आदेश से कानून प्रिय लोग स्तब्ध रह गये। आखिर एक कांस्टेबल ने उस आदेश पर फिर हाई कोर्ट का स्टे बहाल करवा दिया।

यहाँ न चाहते हुए भी किसी फिल्म का बहुत चर्चित डायलॉग याद आता है। ''तारीख पर तारीख पर तारीख..... अब इसे बदल कर कहा जा सकता है स्टे पर स्टे पर स्टे .....।'' ये हो क्या रहा है। न्यायपालिका की पवित्रता इतनी दूषित कैसे हो गई कि किसी प्रदेश के हाई कोर्ट का जज प्रदेश सरकार (पश्चिम बंगाल)को परेशान करने के लिए एक-दो नहीं बल्कि दर्जन भर आदेश देता है और एक दिन अचानक इस्तीफा देकर विरोधी पार्टी की टिकट पर लोकसभा में सांसद का चुनाव लड़ता है। हम तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर अपनी बात कह सकते हैं लेकिन लोकतंत्र के शेष तीनों स्तंभों को क्या हो गया है जो प्रश्न को प्रश्न कहने का सामर्थ्य भी नहीं रखते हैं ??

इन पूरी तरह विपरीत हालातों में समता आंदोलन जिस एकांत भाव से सवैंधानिक शुचिता बचाने के लिए काम कर रहा है भविष्य उसको अवश्य ही मान्यता देगा। इसलिए समता आंदोलन के प्रत्येक सिपाही या कहें कार्यकर्ता को 17 वें स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। बधाई। बधाई।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

हाईकोर्ट ने गैरकानूनी बताया, 5 लाख होंगे प्रभावित

बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द

ममता बोलीं. मुझे मंजूर नहीं

हाईकोर्ट का यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगाए जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी सर्टिफिक्रेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिक्रेट जारी कर दिए।

बेंच ने कहा- इस तरह से ओबीसी सर्टिफिक्रेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिक्रेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इसलिए इन सभी सर्टिफिक्रेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी या मिलने वाली है।

ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिक्रेट रद्द होने वाले हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी।

ममता बोलीं. हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे

हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा कि जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखिए। ये हमारे देश का एक कलंकित अध्याय है।

ममता बोलीं कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं।

ममता ने आगे कहा कि पीएम मोदी लगातार बात करते आए हैं कि कैसे माइनॉरिटीज तापाशिली आरक्षण को छीन लेंगी और इससे संविधान ध्वस्त हो जाएगा। माइनॉरिटीज कभी तापाशिली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं, लेकिन भाजपा के शातिर लोग एजेंसियों के जरिए अपने काम करवाते हैं।

हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता ने एक रैली में कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। वे कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी।

अमित शाह बोले. हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का आदेश लागू हो।

इस मामले पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वे के 118 मुस्लिमों को व्टब् रिजर्वेशन दिया। कोई कोर्ट चला गया और कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 के बीच दिए सभी ओबीसी सर्टिफिक्रेट रद्द कर दिए।

ममता बनर्जी पिछडे वर्गों का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती हैं। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी का कहना है कि वे हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, जो कहे कि कोर्ट का फैसला न माने। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का फैसला लागू हो।

2011 में दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में याचिका

ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें दावा किया गया कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिक्रेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। याचिका में ये भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से थे, उन्हें उनके सही सर्टिफिक्रेट नहीं दिए गए।

इसे लेकर अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को 1993 के कानून के मुताबिक आयोग की सिफारिश विधानसभा को सौंपनी होगी। इसी के आधार पर ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी। तपोब्रत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा, ओबीसी किसे माना जाएगा इसका फैसला विधानसभा करेगी। बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण को इसकी सूची तैयार करनी होगी। राज्य सरकार उस लिस्ट को विधानसभा में पेश करेगी। जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हीं को ओबीसी माना जाएगा।

ई.डब्ल्यू.एस. को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

एमपी में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानि ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को देने का आदेश दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों और भर्ती में इस वर्ग को खासी राहत मिलने की उम्मीद है।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा मामले में हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने कहा कि- अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जाएं। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग को सरकारी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की राह साफ हो गई है।

बता दें कि इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 19 दिसंबर 2019 को रोस्टर जारी किया गया था। इसमें 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान था पर रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाते हैं। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत असंगत माना गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अनारक्षित पदों में से 10 प्रतिशत पदों को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के डिसीजन को ऐसे समझिए

100 पदों के लिए भर्ती होगी तो उसमें से आरक्षित पदों का 16 पद अनुसूचित जाति को, 20 पद अनुसूचित जनजाति को तथा 14 पद ओबीसी वर्ग के होंगे। 50 प्रतिशत आरक्षित पदों को घटाने के बाद 50 पद अनारक्षित बचेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इसके 10 प्रतिशत यानि 5 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। जबकि अभी तक 100 रिक्त पदों में से 10 प्रतिशत यानि 10 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किए जाते हैं।

पौराणिक कथन : दिव

स्वर्ग लोक, जहां का अधिपति होने के कारण ही सूर्य को दिवसपति कहा जाता है। मान्यता है कि यहां का क्षेत्रफल धरती के समान है।

सपनों को चिनगारी देना,
जातिवाद का खेल यही है।
कोई अब तक समझ न पाया-
ये कुछ कितना गलत सही है।।

'समता आन्दोलन के सदस्य बने और बनाऐं

कविता

कठोर सच

सभी समझदार
बार बार कहते आ रहे
खून सभी मानव का
एक समान होता है
गाढा लाल और चिपचिपा
लेकिन जो अति समझदार
टपका कर अपनी लार
सबको समझाना !!!
नहीं-नहीं, थोपना चाहते
अपने बीमार विचार
पाने को सस्ता प्रचार, कि
हमेशा अलग था है रहेगा
अनारक्षित से आरक्षित का खून।
संन्यासी सोचें प्रारब्ध है
न्यायमूर्ति स्तब्ध है
जीवन की ऐसी परिभाषा
न सुनी पढ़ी देखी कहीं
लेकिन कैसे बोलें सही नहीं??
उनके पास कवच है संविधान का
फिर भी शुक्र है
वे अलग-अलग खून तो बताते हैं
पर बता नहीं पाते हैं
लाल के अलावा कोई रंग
यही रक्त लालिमा
मान कर चल रही है
आशाओं का बैग भरकर
भविष्य के सपनों से
जिस दिन होगी रूबरू
कह देगी ये कठोर सच कठोरता से
बस भी करो अब बस भी करो
ध्यान से सुन लो
खून हमेशा लाल था है रहेगा
अपने आप को समझाइए
नहीं तो समय समझा देगा
खून को खून से अलग
मानने का अंजाम।

-समता डेस्क-

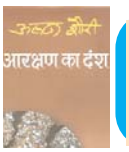

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

एक ओर तो सरकारें लगातार घोषणा करती रहती हैं कि वे आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित कराएंगी, जबकि सरकारों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका : दोनों ही स्तरों पर की जाने वाली काररवाई - जिसमें मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता बल्कि पिछड़े वर्ग की सूची में और भी जातियों को शामिल कर लिया जाता है-से आरक्षण की व्यवस्था में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।'

सरकार को संविधान के दोनों मौलिक सिद्धांतों पर साथ-साथ ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन की कुशलता और सभी के लिए अवसर की समानता। न्यायमूर्ति ए.पी.सैन ने कहा कि ''संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एवं समानता की बात की गई है।'' सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त करते समय सरकार को सभी के हितों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अनुपयुक्त और पक्षपातपूर्ण प्रावधान से सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

''आरक्षण की सीमा निर्धारित करना मूल रूप से सरकार के निर्णय-क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वस्तुत: आरक्षण का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना ही होना चाहिए।

'' हालांकि उन्होंने सचेत भी किया कि पदोन्नति में आनुपातिक आरक्षण लागू करते समय सरकार को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इससे प्रशासन की कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ''यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि प्रशासन की कुशलता और सक्षमता सर्वोपरि है, उसकी उपेक्षा करके किसी तरह का आरक्षण का भी प्रावधान नहीं किया जा सकता।

समता स्थापना समारोह की झलकियाँ
जयपुर, अजमेर, अलवर

राजनैतिक आरक्षण के बारे में बड़े बदलाव की संभावना: पाराशर नारायण

अलवर में मनाया गया समता आन्दोलन का 17वां स्थापना दिवस महोत्सव

अलवर। समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पराशर नारायण शर्मा ने ब्राह्मण छात्रावास के सभागार में समता आंदोलन के इस्तापना दिवस समारोह में सैंकड़ों संभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का राजनैतिक आरक्षण के बारे में फैसला आने वाला है और ज्यादा संभावना यह है कि राजनैतिक आरक्षण समाप्त ही हो जाए। यदि ऐसा होता है तो यह राष्ट्र में स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए एक मिशाल होगा। जातिवाद से मुक्ति मिलेगी और समता आंदोलन के ध्येय वाक्य हर इंसान एक समानए एक राष्ट्र एक जान, मेरा भारत महान व सर्वे भवन्तु सुखिन: सार्थक होंगे।

श्री शर्मा ने कहा कि जातिवादी आरक्षण देश व समाज दोनों के लिए खतरा है कम इसे समाप्त कराने के लिए वैधनिक लड़ाई लड़ रहे है और पिछडो को आगे लाने के लिए हम एसटी-एससी के आरक्षण में भी क्रीमीलेयर लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

स्थापना दिवस समारोह रेणु मिश्रा की सरस्वती वंदना व योगेश वशिष्ठ के सामुहिक हनुमान चालीसा से आरम्भ हुआ। विशिष्ट अतिथि समता आंदोलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, महासचिव राम निरंजन गौड़, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऋषिराज राठौड़, रामप्रकाश सारस्वत, सुरेंद्र सिंह राठौड़ व अलवर जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विश्वंभर दयाल वशिष्ठ ने भी अपने विचार व्यक्त किये अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामावतार सिंह चौहान ने की। संचालन जिला सचिव योगेश वशिष्ठ ने किया।

इस अवसर पर संरक्षक ओम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा क्लासिक प्रिंटर्स, राजेश शर्मा, विजय शर्मा, संगीता गौड़, विजेश पढया, रमेश सिंह, विद्या भूषण, दौलतराम पंकज, रोशन सिंह शेखावत, सतपाल शर्मा, दीपक मिश्रा, संदीप सैनी, हर्ष कुमार आयुर्वेदाचार्य, पतंजलि से पाठकजी, अवधेश सिंह नरुका, नवीन, राजीव, महेश शर्मा, हेमंत, लक्ष्मी कान्त तिवाडी व अनेक गणमान्य व्यक्ति तथा राजपूत व ब्राह्मण छात्रावास के युवा उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद व आभार अशोक आहूजा ने दिया।

प्रदेश के सभी कर्मचारियों को समता आन्दोलन की सुरक्षा छतरी प्राप्त है: राम निरंजन गौड़

अजमेर में भी मनाया गया समता आन्दोलन का 17वां स्थापना दिवस महोत्सव

अजमेर। अजमेर में समता आंदोलन स्थापना महोत्सव हर वर्ष की भांति दो चरणों में मनाया गया। 12 मई को हनुमान मंदिर चौक पर शानदार रंगोली सजाकर दीपमालिका प्रज्वल्लित की गई।

इसमें मुख्यत: समता आन्दोलन के सभी जिला एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और रंगोली पर दीपमालिका सजाई। उल्लेखनीय है कि अजमेर संभाग समता आन्दोलन के गठन के पहले से ही पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ सक्रिय रहा है। यहां के वर्तमान संभागीय अध्यक्ष एन.के.झामड़ एक बस भरकर चण्डीगढ में समानता मंच के अधिवेशन में शामिल हुये थे। उसके बाद राजस्थान प्रदेश में समता आन्दोलन का पहला धरना अजमेर आरपीएससी के सामने दिया गया था।

इसी सक्रीयता को आगे बढाते हुये 18 मई को वैशाली नगर के एक समारोह स्थल पर 17वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। पूर्णत: अनुशासित और नियंत्रित इस कार्यक्रम में जयपुर से प्रदेश स्तर के चार अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर संभाग अध्यक्ष ऋषि राज राठौड ने राजस्थानी भाषा में बोलते हुये सब का आव्हान किया कि हमें रूकना नहीं है जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसी मंच से समता ज्योति के सम्पादक योगेश्वर झाडसरिया ने कहा कि भीतर के भय को बाहर निकालने का काम समता आन्दोलन कर रहा है। हमारे जितने भी साथी और सदस्य है यदि वे सब मन से भय को निकाल दे तो ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी, विवेकानन्द और गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर का उदाहरण देकर अपनी बात को सत्यापित भी किया।

महामंत्री रामनिरंजन गौड ने सधे हुये शब्दों में सबका आव्हान किया कि हमें जो मिला है उसकी कोई तुलना नहीं है। जिन्हें एक भी प्रमोशन की आशा नहीं थी वे पांच-पांच प्रमोशन लेकर रिटायर हुये है। उन्होंने अपना खुद का उदाहरण बताया कि किस तरह उनका जुनियर उनसे सीनियर हो गया था लेकिन समता आन्दोलन के कारण वे ही अपनी सीनियरिटी को बचाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि ये सुखद है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को समता आन्दोलन की सुरक्षा छतरी प्राप्त है।

कार्यक्रम की शुरूआत भगवान श्रीराम की आरती और भजन पूजन के मांगलिक वातावरण में हुई। इसी वातावरण को बनाये रखते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने हनुमान जी का आव्हान करते हुये अपने उद्बोधन में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट, ईडब्ल्यूएस की शर्ते, नौकरी में आरक्षण एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण आदि सभी क्षेत्रों में संक्षेप में संवैधानिक जानकारी देते हुये कहा कि हमारे साथी किसी भी तरह का कोई वहम या शंका नहीं रखे। आगे हम सबका समय बहुत अच्छा है।

उन्होंने आगे बताया कि देश में कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके लिए उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी मेहरडा का जिक्र करते हुये कहा कि कुछ बडे अधिकारी अपने पदों का दुरूपयोग जातिवादी कुण्ठा को पूरा करने के लिए कर रहे है। लेकिन समता आन्दोलन उनके रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर है। हम केवल और केवल संविधान के दायरे में काम करते है।

शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान का दौरा करके सांसद सलाहकार परिषद जैसे अति विशेष और दूरगामी कदम उठाये जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए समता आन्दोलन को समर्पित और कर्मठ अधिकारियों की आवश्यकता है। अजमेर संभाग में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता अपने आप को उपयुक्त मानता है तो आके हमसे बात करे। हम उसके सम्मान के अनुसार पद और प्रतिष्ठा के माध्यम से काम करने का अवसर देंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि परिस्थितियॉ एक समान नहीं रहती है। आज जहां हम खड़े है 17 साल पहले वहां नहीं थे। इसके लिए हम अपने प्रत्येक सदस्य और समता आन्दोलन के अधिकारियों का अभिनन्दन करते है।

संभागीय अध्यक्ष एन के झामड के नेतृत्व और संयोजन में आयोजित समारोह का कुशल संचालन के जी मोदानी ने किया।

इस अवसर पर डा. प्रताप पिंजानी, किरण मेहरा, चम्पालाल, किशोर शर्मा, कुलदीप व्यास, आलोक सक्सेना, महेन्द्र तीर्थानी, उमा रानी, आभा भारद्वाज, नीरज पारीक, कौशल जैन, कैलाश खण्डेलवाल, महेश शर्मा,सुशांत शर्मा, सतीश चन्द्र सोनी, प्रकाश पुरोहित, राजेश तिवारी, कश्मीर सिंह, अरूण माथुर, संगीता जैन, अनिल रांका और आनन्द कुमार शर्मा ने पूरी उर्जा के साथ दिन रात मेहनत करके आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in